रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 824] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/ फाल्गुन 3, 1940
No. 824] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/ PHALGUNA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

विषय:- काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 में संशोधन।

का.आ. 955(अ).—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने मूल आवेदन (ओए) सं. 489/2014 में दिनांक 13.08.2018 के अपने आदेश द्वारा मंत्रालय को निदेश दिया है कि वह काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 में संशोधन करके काष्ठ आधारित कोयला उद्योगों को भी विनियमित करे। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में, काष्ठ आधारित कोयला उद्योगों को भी विनियमित करने हेतु दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

1. दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (i) (ज) के अंतर्गत की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाती है:

'काष्ठ आधारित उद्योग' का तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग से है जिसमें काष्ठ को कच्चे माल के रूप में प्रसंस्कृत किया जाता है (आरा मशीन/पृष्ठावरण/ प्लाईवुड या कोई अन्य प्रकार जैसे चंदन, कत्थे की लकड़ी, काष्ठ कोयला आदि)।

2. अनुच्छेद 2 (i) (ज) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्विष्ट की जाती है:

(i) 'काष्ठ कोयला' का अभिप्राय है किसी वृक्ष से प्राप्त लकड़ी के अपूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन का एक रूप।

3. अनुच्छेद 8 (iii) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्विष्ट की जाती है:

(iv) सभी काष्ठ आधारित उद्योग पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य के अधिनियमों के अंतर्गत इन उद्योगों के लिए यथानुप्रयोज्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी पर्यावरणीय तथा अन्य विनियमों का अनुसरण करेंगे।

[फा. सं. 8-1/2015-एफपीडी (पार्ट-1)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक (एफपीडी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(FOREST PROTECTION DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd February, 2019

Subject: Amendment in Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016.

S.O. 955(E).—The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi by its Order dated 13.08.2018 in Original Application No. 489/2014 has directed the Ministry to regulate the wood based charcoal industries also by amending the Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016. In compliance of the orders of the Hon'ble NGT, the Guidelines are amended as under in order to regulate wood based charcoal industries also:

1. The entry under Para 2(i) (h) of the Guidelines is substituted with the following:

'Wood Based Industry' means any industry which processes wood as its raw material (Saw mills/veneer/plywood or any other form such as sandal, katha wood, charcoal etc.).

2. The following entry is inserted after Para 2(i) (h):

(i) 'Charcoal' means a form of carbon derived from incomplete combustion of wood derived from a tree.

3. The following entry is inserted after Para 8 (iii):-

(iv) All wood based industries will follow all environmental and other regulations prescribed by the State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment, Forest and Climate Change as applicable to these industries under the Environment (Protection) Act, 1986 and other Central and State Acts.

[F. No. 8-1/2015-FPD (Pt.-1)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forests (FPD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.25 14:10:02 +05'30'